राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/एनआरएचएम/09/160 दिनांकः– 18/5/09

–: आदेश :–

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिग/जीएनएम/एनआरएचएम/ 09/96, 97, 98 एवं 99 दिनांक 28.2.09 के द्वारा व्यक्गित अनुबन्ध के लिये चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराये जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एसबीसिरिपि संख्या 2264/09 लीना सैनी बनाम सरकार में दिनांक 2.3.09 को स्थगन आदेश जारी किया गया था, साथ ही आम चुनाव –2009 की आचार संहित प्रभावी होने के कारण चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण अवधि निदेशालय के आदेश क्रमांक–111 दिनांक 13.3.09 के द्वारा दिनांक 25.5.09 तक बढाई गई थी । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उक्त याचिका में जारी स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया गया है ।

अतः पूर्व में कार्यग्रहण्र कराये जाने की तिथि 25.5.09 से बढा कर दिनांक 8.6.09 की जाती है । योजना के तहत चयनित अभ्यर्थी जो आम चुनाव –2009 की आचार संहिता के प्रभावी होने की वजह से कार्यग्रहण करने से वंचित रह गये थे, उन्हे अब कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/एनआरएचएम/09/160 दिनांकः– 18/5/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थन, जयपुर ।
3. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय ।
4. निदेशक (जन स्वा0/प0क0/एडस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन
6. समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 8.6.09 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना तथा एनआरएचएम योजना के तहत समस्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात रिक्त पदों की सूचना विशेष वाहक के साथ **दिनांक 10.6.09 को आवश्यकरूप** से निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करे ।
7. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय ।
8. आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर